A-674-PBR/15

28/5/16	आवेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
	अध्यक्ष

[कृ. प. उ.

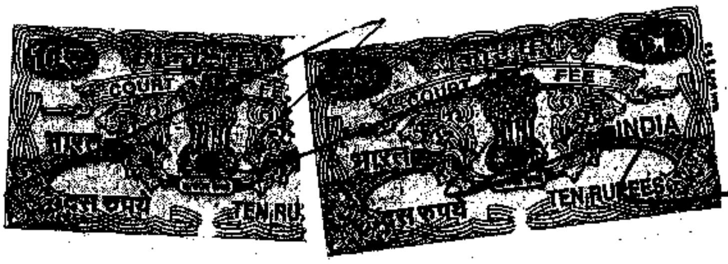

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल केम्प भोपाल जिला भोपाल–(म0प्र0)

राजस्व अपील क्रं0–
अपील 674-PBR-15

कन्हैयालाल, आयु वयस्क,
आत्मज श्री घांसीराम, निवासी–ग्राम कुठार
तहसील हुजूर जिला भोपाल ———— अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तहसील हुजूर जिला भोपाल ———— प्रत्यार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44–(1) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रं.–96/निगरानी/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2014 से असंतुट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करता है ।

अधीक्षक
लय कमिश्नर
संभाग, भोपाल

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रं.–2/स्व0निगरानी/2011 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 जिसके तहत अपीलार्थी के पक्ष में जो पट्टा वंटन आदेश दिनांक 21.09.1998 को जारी किया गया था, उसे निरस्त किया गया।

अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर भोपाल द्वारा जो आदेश दिनांक 27.07.2011 को पारित किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, उक्त निगरानी को माननीय अधिनस्थ अपर आयुक्त भोपाल द्वारा आदेश दिनांक 01.12.2014 के द्वारा निरस्त करते हुए माननीय अधिनस्थ न्यायालय भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2011 को यथावत रखा गया है । अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करता है :–